जोनल रेलवे में हिन्दी पर्यवेक्षक

5016. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जोनल रेलवे में कुल कितने हिन्दी पर्यवेक्षक हैं और उनके वेतनमान क्या हैं;

(ख) उनमें से कितने अपने वेतनमान का अधिकतम प्राप्त कर रहे हैं और कब से प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) क्या सम्बन्धित कर्मचारियों अथवा अन्य व्यक्तियों ने इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड अथवा उनको कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ). जी हां। मध्य रेलवे के हिन्दी पर्यवेक्षक से इस आशय का एक अभ्यावेदन मिला था कि अपने वेतनमान के अधिकतम पर रुके हुए कर्मचारियों को राहत दी जाए और इस कोटि के कर्मचारियों के वेतनमानों का युक्तिकरण किया जाए ताकि उनका वेतनमान और हैसियत गृह मन्त्रालय के अन्तर्गत इसी प्रकार के कर्मचारियों के समान कर दी जाए। इन मांगों पर विचार किया गया था, लेकिन इस बात को देखते हुए इनका औचित्य नहीं पाया गया क्योंकि ये कर्मचारी पहले से ही तीसरे दर्जे के उच्चतम वेतनमान में हैं और इस समय रेलों सहित केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के वेतन के ढांचे में परिशोधन पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है।

रेलगाड़ियों से सम्बद्ध विभागीय भोजनालयों में घटिया किस्म का भोजन दिया जाना

5017. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री शिवकुमार शास्त्री :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलगाड़ियों से सम्बद्ध विभागीय भोजनयानों में उपलब्ध खाना बहुत घटिया किस्म का है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या भोजन की किस्म सुधारने का विचार है यद्यपि इसकी कीमत में वृद्धि करनी पड़े ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं।

(ख) शिकायतें मिली हैं, लेकिन भोजन-यान एक विस्तृत क्षेत्र और अनेक राज्यों से होकर गुजरता है, जिसे देखते हुए कोई विशेष प्रतिकूल बात सामने नहीं आयी।

(ग) प्रत्येक विशिष्ट शिकायत की जांच करने और निवारक कार्रवाई करने के अलावा खानपान व्यवस्था में सुधार के लिए जो अन्य कदम उठाए गए हैं वे सामान्यतः ये हैं :—

(i) खान-पान यूनिटों में काम करने वाले रसोइयों और अन्य कर्मचारियों का उचित प्रशिक्षण।

(ii) खान-पान यूनिटों में आधुनिक उपस्करों और साधनों को उपयोग में लाना।

(iii) भोजन बनाने के लिए अच्छी किस्म के कच्चे माल की खरीद।

(iv) कर्मचारियों के काम सम्बन्धी पर्यवेक्षण कार्य अधिक कड़ा करना; और